५ संलग्न

प्रेषक,

संख्या-3901-सेव-9/पांच-92-एस0एन0डी0-24/91

श्री राम निवास,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0शासन,।

सेवा में,

संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारी

चिकित्सा अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक: 5 सितम्बर, 1992

विषय:- जिला सेक्टर के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चार शैय्यायुक्त राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-1911/योजना, दिनांक 11-8-1992 के ... में मुझे सदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने संलग्नक सूची में अंकित जिलों में जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की संस्तुति के अनुसार चार शैय्यायुक्त आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना किये जाने और उन चिकित्सालयों में प्रत्येक चिकित्सालय के लिए निम्नलिखित अस्थायी पदों को, उनके सम्मुख अंकित वेतनमान में, इस शासनादेश के निर्गत होने अथवा पदों पर नियुक्ति की तिथि से, जो भी बाद में हो, दिनांक 29 फरवरी, 1993 तक की अवधि के लिए यदि यह पद पूर्व ही बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाये, सृजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान	कुल पद
1-	चिकित्साधिकारी	एक	रू02200-75-2800-द0रो0-100-4000	95
2-	फार्मासिस्ट(प्रशिक्षित)	एक	रू01350-30-1440-40-1800-द0रो0-50-2200	95
3-	भृत्य (वार्ड ब्वाय)	एक	रू0750-12-870-द0रो0-14-940	95
4-	स्वच्छक-कम-चौकीदार	एक	रू0--तदैव--	95
			योग-	380

2- उक्त पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य आदेशों के अनुसार मँहगाई तथा अन्य भत्ते जो भी नियमानुसार अनुमन्य होगा, देय होंगे।

3- राज्यपाल महोदय उपर्युक्त चिकित्सालयों में प्रत्येक चिकित्सालय के लिए निम्नलिखित आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

आवर्तक व्यय

(1) औषधि — रू0 8000/-(आठ हजार मात्र)

(2) चिकित्सा प्रकीर्ण
कच्ची औषधि मरहम पट्टी का सामान औषधियों का परिवहन इत्यादि। — रू03000/(तीन हजार मात्र)

(3) सामान्य प्रकीर्ण
धुलाई व्यय, मिट्टी का तेल, सेवा टिकट, रोगियों का आहार तथा अन्य विविध व्यय — रू0 2000/-(रू0दो हजार मात्र)

योग- रू0-13,000/=

अनावर्तक.. व्यय [साज-सज्जा, रु0 25,000/-[रुपये पच्चीस हजार मात्र]
उपकरणों एवं संयत्रों के क्रय हेतु]

अनावर्तक व्यय की मदों का क्रय निर्धारित सूची के अन्तर्गत स्टोर परचेज रूल्स के अनुसार किया जायेगा तथा आवर्तक व्यय उसी अनुपात में किया जायेगा जो अनुपात वर्ष की शेष अवधि का पूरे वर्ष से हो।

नोट:- यदि भवन किराये पर लिया जाता है तो उसकी मरम्मत हेतु कोई व्यय न किया जाय। भवन पर कब्जा लिखित रूप में अनुबन्ध पत्र के आधार पर लिया जाय।

4- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त नव स्थापित चिकित्सालयों में आवर्तक व अनावर्तक मदों पर व्यय तथा तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर नियुक्तियाँ तभी की जाय जब कि उक्त चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारी तैनात न हो जाय।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-33 लेखाशीर्षक-"2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत-04-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ-101-आयुर्वेद-0603-आयुर्वैदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1186/दस/92, दिनांक 5-9-92 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0
[राम निवास]
संयुक्त सचिव।

संख्या-3901[1]/सेक-9/पाँच-92, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त [व्यय-नियंत्रण] अनुभाग-3
3- चिकित्सा अनुभाग-6
4- संलग्न सूची में अंकित जिलों के जिलाधिकारी।
5- निदेशक, आयुर्वैदिक एवं यूनानी सेवायें, उ0 प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,
ह0/-
[राम निवास]
संयुक्त सचिव।

2- उपर्युक्त पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य शासनादेशों के अधीन महगाई तथा अन्य भत्ते जो भी नियमानुसार अनुमन्य हों, देय होंगे। यह पद संबंधित संवर्गों में अतिरिक्त अस्थायी पद होंगे।

3- उपर्युक्त पदों के अतिरिक्त रू0 350/- के नियम वेतन में प्रत्येक चिकित्सालय में एक-एक रसोइया कम कहार की तैनाती की भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इनका व्यय चिकित्सालय की कन्टीजेन्सी से वहन किया जायेगा।

4- राज्यपाल महोदय ने उपर्युक्त चिकित्सालयों में से प्रत्येक चिकित्सालयों के लिए निम्नलिखित अनावर्तक एवं आवर्तक व्यय किये जाने की भी स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

<u>आवर्तक व्यय</u>

1- औषधि	20,000/- प्रति चिकित्सालय प्रति वर्ष
2- चिकित्सा प्रकीर्ण (कच्ची औषधि मरहम, पट्टी का सामान, औषधियों का पहरवहन आदि ।	15,000/- प्रति चिकित्सालय प्रति वर्ष
3- सामान्य प्रकीर्ण (धुलाई व्यय मिट्टी का तेल, सेवा टिकट, रोगियों का आहार तथा अन्य विविध व्यय)	10,000/- रू0 प्रति चिकित्सालय प्रतिवर्ष
	योग-45,000/-

<u>अनावर्तक व्यय</u>

(साज-सज्जा, उपकरण एवं संयंत्र क्रय हेतु 75,000/- रू0

अनावर्तक व्यय की मदों का क्रय निर्धारित सूची के अनुसार संगत सामग्री क्रय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा तथा आवर्तक व्यय उसी अनुपात में किया जायेगा जो अनुपात वर्ष की शेष अवधि का पूरे वर्ष से हो।

यदि भवन किराये पर लिया जाता है तो उसकी मरम्मत हेतु कोई व्यय न किया जाय। भवन पर कब्जा लिखित रूप से अनुबन्ध पत्र सम्पादित करके ही लिया जाय।

5- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त नवस्थापित चिकित्सालयों में जब तक कम से कम एक चिकित्साधिकारी की नियुक्ति नहीं कर दी जाती है तब तक इन चिकित्सालयों की स्थापना पर कोई आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय नहीं किया जायेगा और न कोई अन्य कर्मचारियों के पद भरे जायेंगे।

6- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पार्श्वांकित शासनादेशों में अंकित शासनादेश अस्थायी रूप से स्वीकृत चिकित्साधिकारियों एवं फार्मेसिस्ट के 98-98 पदों में से चिकित्साधिकारियों के 66 एवं फार्मेसिस्टों के 66 पदों को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

1- शासनादेश सं0-1688-सेक-9/पाँच-68/85 दि0 10-11-86

2- शा0 सं0-3052-सेक-9/पाँच-88/86 दि0 19-3-87

7- इस संबंध में होने वाला व्यय आय-व्ययक के अनुदान सं0 33 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत-02-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियां-101- आयुर्वेदिक-0305-राज्य के शहरी क्षेत्रों में नये आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई0-3-1550/दस-1990, दिनांक 25-9-1990 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/=
(एच0सी0 अग्रवाल)
अनुसचिव

संख्या-3757(1)-सेक-9/पाँच-90-एस0एन0डी0-14/90 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
3- चिकित्सा अनुभाग-6
4- संलग्न सूची में उल्लिखित जिलों के जिलाधिकारी।

आज्ञा से,
(एच0सी0 अग्रवाल)
अनुसचिव